29/5/17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प मोई उरला में पेश हुई वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहस सुनी गई, वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर घोषित किया गया।

पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम की जाये।

उदयलाल

नि. राजस्व/हेम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

करण संख्या 51/2015

उनवान

श्री उदयलाल पिता गजानन्द मु0बंशीलाल कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला
– वादी

बनाम

श्रीमति ग्यारसी बेवा बंशी कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
श्री भैरूलाल पिता गजानन्द कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
श्री किशन लाल पिता गजानन्द कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला
लवाडा
श्रीमति गीता पुत्री गजानन्द कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
श्रीमति ज्यानी पुत्री गजानन्द कुमावत आयु व्यस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
उप पंजीयक भीलवाडा

– प्रतिवादीगण

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क),53 व 188 रा0टि0एक्ट
बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्थी विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 29.05.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट गुरलां दिनांक 29.05.2017 को पैश हुई वादी एंव वादी संख्या 01 उपस्थित वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क),53 व 188 रा0टि0एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी एंव प्रतिवादीगण की अविभाजित ग्राम गुरलां में स्थित ाजी संख्या 805,806,807,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,3130/812 कुल किता कुल रकबा 17–12 बीघा कृषि भूमी स्थित है। पारिवारिक सजरा के अनुसार गजानन्द,छोगा स में दोनो सगे भाई थे, जिनमें से गजानन्द के भैरूलाल, उदयलाल,किशनलाल, पुत्र व ा, ज्यानि पुत्रीया है। छोगा के बंशी हुआ बंशी के कोई जायन्दा सन्तान नही होने से बंशी ने ने जीवनकाल में गजानन्द के पुत्र उदयलाल को जाति रस्म व रिति रिवाज से गोदपुत्र घोषित ा तभी से वादी उदयलाल बंशी की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व त करता आ रहा है। बंशी की मृत्यु के पश्चात विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया में अकेली बंशी की पत्नी ग्यारसी के नाम पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया एंव ग्राम यत ने बिना जांच के ही विरासत का नामान्तरकरकण प्रतिवादी सं0 एक ग्यारसी के नाम कृत कर दिया, जबकि वादी का भी प्रतिवादी सं0 एक के साथ संयुक्त नाम पर नामान्तरण कृत करना चाहिये, उपरोक्त आराजीयात में वादी का गोद पुत्र होने के आधार 1/4 हिस्से खातेदार घोषित कराने का अधिकारी होने से वाद पत्र प्रस्तुत किया। उपरोक्त आराजीयात ान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज रेकार्ड होने के ार पर प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने एंव अन्तरण करने पर

वादी का वाद पत्र पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मन जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 की ओर से वकालत नामा पैश हुआ प्रतिवादी संख्या एक की ओर से दिनांक 17.11.2015 को जवाब पैश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से इनका जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या एक की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 (03) जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत हुआ जिसे दिनांक 24.11.2015 को स्वीकर किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय के बयान पंजीबद्व करवाये एंव समर्थन में भैरू सिंह के बयान पंजीबद्व करवाये और प्रतिवादी संख्या एक के बयान कलम बद्व किये गये प्रतिवादी सं0 एक के समर्थन में लक्ष्मण पिता प्यारा दरोगा निवासी रगसपुरिया के बयान कलम बद्व किये गये।

प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दु सं0 1 से लगायत 5 को दौहराते हुए वाद गस्त आराजीयात में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कराने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादी ने फर्जी गोदनामा के आधार पर बंशी पिता छोगा कुमावत के नाम की भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा जो गोदनामा 12.09.1983 का प्रस्तुत किया गया है, रजिस्टर्ड नही होकर कुटरचित है वादी का वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज कराया जावे।

वादी के वाद पत्र एंव प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यो एंव साक्ष्यो के भलीभांति परीक्षण किये जाने पर यह पाया जाता है कि वाद ग्रस्त ग्राम गुरलां के आराजी सं0 805,806,807,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,3130/812 कुल किता 14 कुल रकबा 17–12 बीघा भूमी जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 में प्रतिवादी सं0 एक के नाम पर 1/2 हिस्सा एंव वादी और प्रतिवादी सं0 2 से लगायत 5 के नाम पर संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 12.09.1983 में बंशी पिता छोगा कुमावत निवासी रगसपुरिया ने अपने सगे भतीजे उदयलाल को गोद पुत्र बताया गया। गोदनामा दिनांक 12.09.1983 अनरजिस्टर्ड है, जबकि गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या एक ने भी अपने बयान में उदयलाल को बंशीलाल पिता छोगा कुमावत निवासी रगसपुरिया के गोद नहीं रखना बताया है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र अनरजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतःएंव

आदेश

अतः वादी ने जिसमे गोदनामा अनरजिस्टर्ड पैश किया। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साक्ष्य जो उदयलाल का फोटू पहचान पत्र पैश किया उसमे पिता का नाम गजानन्द है जो वर्ष 2011 में जारी हुआ है। उदयलाल का स्वंय की पिता की विसासत में खुले नामान्तरकरण में भी नाम दर्ज है। उदयलाल एंव बंशीलाल आपस मे भाई थे जबकि गोदनामे में भतीजा दर्शाया उक्त सम्पूर्ण तथ्य पूर्व गोदनामे का एंव उदयलाल को गोद पुत्र संदिग्ध दर्शाता है।

अतः वादी का वाद पत्र सिद्व नही होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

राजस्व केम्प कोर्ट गुरलां

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत(आर.ए.एस.)

उनवान

1.श्री उदयलाल पिता गजानन्द मु0बंशीलाल कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा

— वादी

बनाम

1. श्रीमति ग्यारसी बेवा बंशी कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री भैरूलाल पिता गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री किशन लाल पिता गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्रीमति गीता पुत्री गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्रीमति ज्यानी पुत्री गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
7. उप पंजीयक भीलवाडा

— प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या 51 / 2015

वाद पत्र अन्तर्गत धाराः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क),53 व 188 रा0टि0एक्ट

वादी की और से वादी स्वंय, प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 ग्यारसी देवी की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 29.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पैश होने पर आदेश दिया जाता है डिग्री दी जाती है किः—

अतः वादी ने जिसमे गोदनामा अनरजिस्टर्ड पैश किया। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साक्ष्य जो उदयलाल का फोटू पहचान पत्र पैश किया उसमे पिता का नाम गजानन्द है जो वर्ष 2011 में जारी हुआ है। उदयलाल का स्वंय की पिता की विसासत में खुले नामान्तरकरण में भी नाम दर्ज है। उदयलाल एंव बंशीलाल आपस मे भाई थे जबकि गोदनामे में भतीजा दर्शाया उक्त सम्पूर्ण तथ्य पूर्व गोदनामे का एंव उदयलाल को गोद पुत्र संदिग्ध दर्शाता है।

अतः वादी का वाद पत्र सिद्व नही होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 29.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
(राजस्व केम्प कोर्ट गुरलां)